फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

[illegible] बनाम तहसीलदार [illegible]

संख्या 46/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		का अवलोकन किया पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 8/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	8/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। समय के अभाव में आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश, विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस को मनन किया जाकर आदेश। वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का. (राजस्थान काश्तकारी अधि०) को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णयानुसार नोटिस जारी किया गया। पत्रावली कार्यालय रिकार्ड रजिस्टर से कम हो तथा बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
46 / 2024	08 / 04 / 2024	27 / 08 / 2024

1. मधुसुदन माहेश्वरी पुत्र श्री सुशील कुमा माहेश्वरी निवासी सी– 206, गौत्तम मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर–302021

वादी

बनाम

1. विमला देवी पत्नी बाबूलाल कोठारी जाति महाजन निवासी बी–93, त्रिवेणी नगर, जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थितअभिभाषक
श्री राजेश कुमार पारिक :– वकील वादी।
श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रतिवादी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.5600है0 ग्राम चकचैनपुरा, पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि जो वादी की खातेदारी भूमि हे। का वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग व उपभोग करता आ रहा है एवं उक्त भूमि में कृषि कार्य विधिवत करता रहा है। जिससे अन्य किसी का कोई संबंध सरोकार नही है ओर ना ही प्रतिवादीया का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार है। परन्तु प्रतिवादीया आये दिन वादी की उक्त भूमि में किसी न किसी प्रकार से दखल उत्पन्न कर उक्त भूमि मे काश्त करने एवं उसका उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करती है, जबकि प्रतिवादिया का कोई संबंध सरोकार उक्त भूमि पर नही है और ना ही किसी प्रकार का अधिकार प्रतिवादीया का उक्त भूमि पर है। दिनांक 05.04.2024 को प्रतिवादीया ने अपने कुछ सर्वेन्ट/एजेन्ट को वादी की उक्त भूमि पर कब्जा करने हेतु भेजा। प्रतिवादीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45 है जो कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 46 के पश्चिम दिशा में है। प्रतिवादी ने इसका फायदा उठाकर वादी की भूमि खसरा नम्बर 46 की सीमाओं में निर्माण सामग्री ईकठठा कर निर्माण करने पर आमादा हो गई तथा प्रतिवादीया द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा करने के लिए भेजे गए सर्वेन्ट एवं एजेन्ट जिनका नाम पता वादी नही जानता ने समझाईश करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। अतः उक्त वर्णित भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे तथा व वादी के कब्जे काश्त में एवं वादी के खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 46 की सीमाओं में किसी प्रकार का अतिकृण्मा करने का कार्य नही करे, ना ही निर्माण इत्यादि करें और ना ही ऐसा अपने ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर एड0 श्री रामकरण शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 06.05.24 को जवाब दावा मय काउन्टर दावा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाब दावे में वकील प्रतिवादी ने प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि वादी ने भू स्वामी तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार होते हुये भी पक्षकार नही बनाया इस आधार पर वादी का वाद खारिज फरमाया जावें। वादी ने बिना सीमाज्ञान व बिना पत्थरगढी करवाये ही वाद पेश किया। प्रतिवादी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 45 की सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2023 को करवाकर अपनी भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

ाबिज है ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज फरमाया जावें। जवाब दावा में निवेदन किया क उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 46 ग्राम चक चैनपुरा में स्थित है। जिसके लगवा नउत्तरदाता की भूमि खसरा नम्बर 45 स्थित है। जिसमें वादी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 6 की आड में दखल देने का कतई अधिकार नही है। काउन्टर दावा में निवेदन किया कि नकाउन्टरकर्ता की भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 0.4400है0 वाके ग्राम चक चैनपुरा में तरमीम ुदा भूमि है जिसकी सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2023 को करवा ली है इसलिये उक्त भूमि में खल देने का वादी को कोई अधिकार नही है जबकि काउन्टरकर्ता अभिलिखित काबिज ातेदार है तथा सीमाज्ञान करवा चुका है। इसलिये खसरा नम्बर 45 में वादी को किसी भी कार से दखल देने का अधिकार नही होने से न्यायालय द्वारा वादी को पाबन्द करवाने का धिकारी है। दिनांक 08.04.24 को पेश वादी की आउ में व खसरा नम्बर 46 की आड में वादी देनांक 13.04.2024 को मिनप्रतिवादी काउन्टरकर्ता को खसरा नम्बर 45 की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान डाला जिसकी रिपोर्ट वादी के विरूद्व दिनांक 13.04.2024 को दर्ज करवाई ाई है। उक्त घटना से प्रतिवादी के लिये उक्त काउन्टर दावा पेश किया जाना लाजिम हुआ है। अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वाके ग्राम चक चैनपुरा में स्थित खसरा नम्बर 46 की आउ में प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 45 के दखल बाधा उत्पन्न नही करें, प्रतिवादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान नही करें। उक्त कार्य ना तो वादी स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट–सर्वेन्ट, प्रतिनिधि से करवावें।

वकील वादी ने काउन्टर क्लेम का जवाब ने देकर सीधी बहस करना चाहा। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा, काउन्टर क्लेम व अन्य दस्तावेजोत का अवलोकन करने पर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चक चैनपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 45 व 46 की सीमाओं में वादी प्रतिवादी की भूमि तथा प्रतिवादी वादी की भूमि अर्थात एक–दुसरे की भूमि में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से कच्चा–पक्का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई

(ओ0 18–21 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

मधुसुदन मोहश्वरी बनाम विमला देवी वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 46/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री राजेश कुमार पारिक वकील वादी व श्री रामकरण शर्मा वकील प्रतिवादी निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चक चैनपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 45 व 46 की सीमाओं में वादी प्रतिवादी की भूमि तथा प्रतिवादी वादी की भूमि अर्थात एक–दुसरे की भूमि में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से कच्चा–पक्का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये।

डिक्री आज दिनांक 27/08/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प			स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह			स्टाम्प वजूह		
सबूत			सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय			बबतहजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर